आर टी आई मामला/प्रथम अपील

सं.14036/358/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 16th मई, 2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत चौधरी रवि कुमार रजवाल जाटव द्वारा प्रस्तुत अपील।

जबकि, चौधरी रवि कुमार रजवाल जाटव निवासी ई-43, पांडव नगर, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 ने अपने दिनांक 16.1.2013 के आर टी आई आवेदन का प्रत्युत्तर न दिए जाने के संबंध में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपनी दिनांक 4.4.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में दिनांक 23.4.2013 को प्राप्त) प्रस्तुत की है।

2. जबकि, इस अनुभाग में दिनांक 30.1.2013 को चौधरी रवि कुमार रजवाल जाटव का आर टी आई आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें काल्पनिक प्रश्नों/सवालों से संबंधित सूचना मांगी गई थी। तदनुसार, विषय-वस्तु की जांच की गई थी और यह पाया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत 'सूचना' की परिभाषा से बाहर है। उनके आर टी आई आवेदन का प्रत्युत्तर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.2.2013 के पत्र सं. 14036/178/2013-यू टी पी (प्रति संलग्न) के तहत दे दिया गया था।

3. चूंकि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर कार्रवाई की गई थी, इसलिए उनकी प्रथम अपील का निपटान किया जाता है।

(के. के. पाठक)

संयुक्त सचिव (यू टी) एवं

अपील प्राधिकारी

Issued with encl. 1408 27/5.

सेवा में

चौधरी रवि कुमार रजवाल जाटव,

एफ-43,पांडव नगर, पटपड़गंज,

दिल्ली-110091

Appl. 88/RTI/2013
15/4/13

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
05 APR 2013
डायरी सं. 86419
केन्द्रीय रजिस्ट्री/नॉर्थ ब्लॉक/CR Sec/North Block

श्रीमान उपम अपीलीय अधिकारी
भारतीय गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक

विषय सूचना के अधिकार के विषय में,

महोदय,

मैंने दिनांक 16/1/2013 को RTI के माध्यम से उनके प्रश्नों के विषय में जानकारी मांगी थी लेकिन आज तक मुझे किसी भी प्रश्न के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द मुझे जानकारी उपलब्ध करायें आपकी अति कृपा होगी।

JS (PM)

नाम: श्री० रवि कुमार रजवाल जाटव
पता: E 43 पांडव नगर पटपड़गंज दिल्ली 110091
(M) 9810378083

Ravi Kumar
4/4/2013

DS(E)

US(RTI)

SO (RTI)
7/4/13